न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुंझुनू।

पीठासीन अधिकारी– जगदीश प्रसाद गौड़
आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र अं0धारा 14(4) संख्या–21/2021

राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी वन मण्डल, झुंझुनू।

––प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री अरूण पुत्र चोथमल जाति माली साकिन सीकर।
2. चौथमल पुत्र मरूमल, जाति माली साकिन सीकर।
3. श्री प्रदीप पुत्र रतिराम जाति महाजन, साकिन अम्बावाड़ी,जयपुर।
4. श्री मनोज पुत्र चोथमल जाति माली साकिन सीकर।
5. श्री राजेश पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्मण साकिन मुरलीपुरा जिला जयपुर।
6. सारिका पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति माली, साकिन सीकर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 14 (4) राज0भू. राजस्व
<u>(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री रणवीर सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी –––––प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनोहरलाल सैनी, –––––––––––––अप्रार्थी संख्या–1 से 6 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार, राजकीय अधिवक्ता––––– राजस्थान सरकार की ओर से।

–निर्णय – दिनांक 17.06.2022

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवटी वन मण्डल, झुंझुनू द्वारा राज0 भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि –पटवार हल्का [illegible] के ग्राम कोट में पु[illegible]सरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

632 जुज रकबा 863 बीघा 2 बिस्वा किस्म जमीन गैर मु0 पहाड व खसरा नंबर 650 जुज रकबा 1 बीघा जुज रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म बंजड़–2 रक्षित वन भूमि है। एनेक्सर–1) राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29, उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित करने के लिए एक्ट की धारा 29 की उप धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1957 से घोषित रक्षित वन खण्ड रघुनाथगढ जिसे एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुये सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी,जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21.06.1973 के द्वारा अंतिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जा चुका है। (एनक्सर–2)

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29, उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected forest) घोषित करने के लिए एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1957 से घोषित रक्षित वन खण्ड रघुनाथगढ जिसे एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदश शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21.06.1973 के द्वारा अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उक्त भूमि वन सीमा स्तम्भों 514, 515, 516, 517, 518 व 519 द्वारा सीमांकित करते हुये वन खंड रघुनाथगढ के ग्राम कोट की रक्षित वन भूमि में शामिल किया गया। दिनांक 9.2.2012 द्वारा जारी विज्ञप्ति से वन्यजीवों के लिए वन्यजीव अधिनियम 1972 के अन्तर्गत शाकम्भरी कंजर्वेशन रिजर्वा के नाम से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। (एनेक्सर–4) सम्वत 2009 से 2048 तक की खसरा गिरदावरी को देखने स्पष्ट है कि भूमि कृषि योग्य नहीं रही है। क्योंकि जमीन की किस्म गैर मु0 पहाड़ नहीं है। (एनेक्सर–5)

रक्षित वन पर वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 में वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के लिये रोक लगायी है। यदि वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने हैं तो केन्द्र सरकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

पूर्वानुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.1996 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की प्रति संलग्न है। (एनेक्सर–6)

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 प्रभावी है और इस एक्ट की धारा 29 के तहत वन और पर्यावरण से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का अधिकार राषट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल को ही है । (एनेक्सर–7)

इसी तरह के प्रकरण में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन, भोपाल के ओए संख्या 131/2014 रामस्वरूप यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23.2.2015 को यह निर्णय दिया गया। इस निर्णय अनुसार वन भूमि को राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन होने के पश्चात वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (1 से 5 तक) के तहत डीनोटिफिकेशन की कार्यवाही आवश्यक है। उपरोक्त प्रकरण में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किये गये आवंटन में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (1 से 5 तक) की प्रकिया की पालना नहीं की गई। राजस्व अधिकारियों द्वारा वन भूमि का आवंटन करना एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ कनवर्जन करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 वन्य जीव अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन एवं आपराधिक कृत्य है। (एनेक्सर–8)

झुंझुनू जिले की भूमि बीड़ झुंझुनू के संबंध में जिला कलक्टर, झुंझुनू के द्वारा एक बार वन भूमि को आवंटन करने के पश्चात दूसरे व्यक्तियों को आवंटित करना गलत माना है और अपने निर्णय दिनांक 30.5.2002 में वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। इसी प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 28.2.2006 को वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है। ऐसे ही प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 24.2.2011 को वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार के प[illegible]/2011 जयपुर दिनांक 29.2. 2012 के द्वारा भी राजस्व अधि[illegible] वन भूमि का आवंटन नहीं करने

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

हेतु निर्देशित किया गया है। वन भूमि के आवंटन होने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने के कारण धारा 3 की व्यवस्था के अनुसार दण्डनीय अपराध माना है। अतः उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित की गई रक्षित वन भूमि में से राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त कर वन विभाग के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में अमल–दरामद के निर्देश फरमावे।

जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 632 रकबा 1206 बीघा 7 बिस्वा किस्म गैर मु0 पहाड़ खसरा नंबर 650 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म बंजर दोयम सम्वत 2014 से 2029 तक भूमि अधिकार राजकीय रहा है व खसरा नंबर 633 रकबा 3 बीघा किस्म बंजर दोयम सम्वत 2018 से 2029 तक भूमि अधिकार राजकीय दर्ज रहा है। (एनेक्सर–10)

जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 के अध्याय 1 के प्रारम्भिक परिभाषाएं क में फायदे के दावेदार से जैव संसाधनों उनके उपोत्पादों के संरक्षक, ऐसे जैव संसाधनों के उपयोग, ऐसे उपयोग और उपयोजन से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबंधित ज्ञान और जानकारी के सर्जक और धारक अभिप्रेत हैं, से परिभाषित किया है। इसी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए आवेदन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 25 क के अनुसार अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय सीमा कलक्टर धारा 18 के अधीन अभयारण्य की घोषणा की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भतीर धारा 19 से धारा 25 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन यथाहसंभव कार्यवाहियों को पूरा करेगा। यदि किसी कारण से कार्यवाहियां दो वर्ष की अवधि के भतर पूरी नहीं की जाती हैं तो अधिसूचना व्यपगत नहीं होगी। तथा धारा 29 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र के बिना अभयारण्य में नाशकरण आदि पर प्रतिष्ट नहीं करेगा, उसका विदोहन नहीं करेगा या उसे नहीं हटायेगा या उसका अपवर्तन नहीं करेगा अथवा अभयारझरू में या उसके बाहर जल अपवर्तन, रोधन अथवा वृद्धि नहीं करेगा [illegible] अनुज्ञापत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक राज्य सरकार बोर्ड से परामर्श [illegible] के प्श्चात यह समाधान हो जाने पर कि अभयारण्य से वन्य जीव को [illegible] अभयारण्य के अंदर अथवा बाहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

की ओर जल प्रवाह में परिवर्तन किया जाना उसमें वन्य जीवों के सुधार और बेहतर प्रबंध के लिए आवश्यक है। ऐसा अनुज्ञापत्र देने के लिए प्राधिकृत नहीं कर देती, परन्तु जहां किसी अभयारण्य से वनोत्पाद को हटाया जाता है, उसका उपयोग, अभयारण्य में अथवा आस–पास रहने वाले लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा और किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जायेगा। 2015 Commiphora Wightii. The IUCN Red List of Threatened Species गूगल के पेड़ों को Threatened Species घोषित किया गया है,जो कि इस क्षेत्र में बहुलता से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं । इन खसरों में प्राकृतिक रूप से 224 पेड़ गूगल के उपलब्ध हैं । (एनेक्सर–11)

खसरा नंबर 632 व 650 से नये खसरा नंबर 956 रकबा 0.68 हैक्टर व खसरा नंबर 1147 / 960 रकबा 14.18 हैक्टर बने हैं में स्थित पेड़ पौधों की गणना करवाई गई है जिसमें क्षेत्र में गणना में 200 पौधे प्रति हैक्टर से अधिक पेड़–पौधों की संख्या पाई गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 के अनुसार यह डिम्पड श्रेणी का वन है जिसमें किसी को गैर वानिकी गतिविधियां करने का अधिकर नहीं है। (एनेक्सर–12)

यह आवंटन अधिसूचित रक्षित वन भूमि में राजस्थान वन अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) से (5) तक की कार्यवाही अपनाये बिना आवंटन किया गया है जो पूर्ण रूप से अवैध एवं शून्य है तथा आवंटन की गई भूमि गै0 मु0 पहाड़ होने के बावजूद किस्म बारानी कर नियम विरूद्ध जाकर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है। माननीय हरित प्राधिकरण Central Zonal Bench Bhopal के ओ.ए. संख्या 131 / 2014 रामस्वरूप यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23.2.2015 द्वारा दिये गये निर्णय में भी राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उपधारा (1) से (5) के तहत बिना डिनोटिफिकेशन की कार्यवाही अपनाये हुये किये गये आवंटन को शून्य माना है। वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय [illegible] न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 के प्रावधान लागु होने के कारण अधिसूचित [illegible] भूमियों का डिनोटिफिकेशन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

किया जा सकता है तथा अधिसूचित रक्षित वन भूमि पर बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी गतिविधि किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है।

पुराने खसरा नंबर 632 व 650 से नये खसरा नंबर 956 रकबा 0.68 हैक्टर व खसरा नंबर 1147/960 रकबा 14.18 हैक्टर बने हैं जो कि रक्षित वन भूमि के भाग हैं। (एनेक्सर–13)

नये खसरा नंबर 956 व 1147/960 का विक्रय नामान्तरण संख्या 443 दिनांक 23.10.2017 द्वारा अरूण पुत्र चोथमल हिस्सा 3/20 जाति माली साकिन सीकर चौथमल पुत्र मटरूमल हिस्सा 1/5 जाति माली साकिन सीकर, प्रदीप पुत्र रतिराम हिस्सा 3/20 जाति महाजन साकिन अम्बावा ड़ी मनोज पुत्र चोथमल हिस्सा 3/20 जाति जाति माली साकिन सीकर, राजेश पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 3/20 जाति ब्राहम्मण साकिन मुरलीपुरा जिला जयपुर, सारिका पत्नी नरेन्द्र कुमार हिस्सा 1/5 जाति माली साकिन सीकर के नाम से दर्ज है। (एनेक्सर–14)

कार्यालय उप मंडलाधिकारी, नवलगढ के क्रमांक 1184/राजस्व दिनांक 29.7.1971 व नामान्तरण पंजिका कोट नामांन्तरण 61 से बजरंग लाल पुत्र भूरामल लाटा साकिन सकराय के नाम से दर्ज हुआ जिसे निरस्त करने का कष्ट करें।(एनेक्सर–15) अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के वर्तमान में खसरा नंबर 956 रकबा 0.68 हैक्टर व खसरा नंबर 1147/960 रकबा 14.18 हैक्टर अधिसूचित रक्षित भूमि हाल राजस्व जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के नाम दर्ज है जिसे खारिज कर अधिसूचित रक्षित वन भूमि को वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश जारी करें। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार निर्देश जारी किये है कि राजस्थान वन अधिनियम के अधीन जारी अधिहसूचनाओं को देखकर राजस्व अधिकारी भूमि आवंटन/रूपांतरण करे जो इस प्रकार में नहीं किया गया है। आवंटन आदेश गैर मुमकिन भूमि की किस्म बदलने के पश्चात व जंगलात की भूमि जंगलात नियमों से मुक्त कर दिये जाने के पश्चात जारी किये जाने [illegible] पालना न किये जाने के कारण आवंटन एवं उसके आधार पर दर्ज खातेदारी नल एंड वाईड है।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अंत में कथन किया कि प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी है कि यह राजस्व रिकार्ड में उसके नाम भूमि दर्ज है, इसलिए इस पर कब्जा करके काश्त करेंगे। यह भूमि वन विभाग की नोटिफाईड भूमि होने के बावजूद अन्य की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज रिकार्ड है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र उक्त भूमि को वन विभाग के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु पेश की जा रही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने लिखित जवाब/प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र राज0 भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) में अंकित किये गये तथ्यों से इन्कार किया गया तथा निवेदन किया कि– राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970 के अन्तर्गत विवादित भूमि का आलॉट नहीं हुआ है। बल्कि विवादित भूमि पर भूराराम जो बजरंगलाल के पिता थे, ने ठिकाने से कय की थी तथा उक्त भूमि पर उसका कब्जा था जिसको वन विभाग ने सेटलमेंट में पैमाइस लाईन में वन विभाग में शामिल कर लिया जिस पर उसके खातेदार बजरंग लाल ने सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के यहां एतराज करने पर दिनांक 19.9.1966 को सहायक बन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर ने विवादित भूमि को वन विभाग द्वारा पैमाइस लाईन में वन विभाग में शामिल की गई भूमि को वन विभाग से अलग कर दिया। उक्त आदेश की अपील करने पर अपील भी खारिज कर दी गई है। इसलिए मौजुदा प्रार्थना पत्र पत्र राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है, प्रथम–दृष्ट्या खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीया ने कथन किया कि ग्राम कोट पटवार नांगल में भूमि पुराना खसरा नंबर 632 रकबा 55 बीघा 10 विश्वा व खसरा नंबर 650 रकबा 2 बीघा हाल खसरा नंबर 1147/860 रकबा 14.1800 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसकी किस्म बारानी सोयम दर्ज है। उक्त भूमि का पट्टा फागुन बु[illegible]म के नाम से बना हुआ है। उक्त पट्टे की नकल जवाब [illegible]के बाद का राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जा[illegible]बर 632 रकबा 55 बीघा 10 विश्वा व खसरा नंबर 650 रकबा 1 बीघा [illegible] विश्वा बजरंगलाल पुत्र भरामल कौम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला [illegible]
झुंझुनूं

ब्राहम्मण निवासी सकराय जिला सीकर की खातेदारी में दर्ज है, जो राजस्व रिकार्ड शुरू से दिनांक 23.10.2017 तक है। उसके बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि को उक्त रिकार्डेड खातेदार काश्तकार उक्त बजरंगलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सारिका, चौथमल, अरूण, मनोज, राजेश व प्रदीप ने क्रय कर ली तथा उसका नामान्तरकरण भी दिनांक 23.10.2017 को तस्दीक हो चुका है। उसके बाद राजेश व प्रदीप ने भी अपने हक व हिस्से की भूमि को उक्त मनोज व अरूण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर लिया तथा नामान्तरकरण भी उक्त मनोज व अरूण ने अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार सारिका, चौथमल, अरूण, व मनोज हैं। उक्त भूमि पर वन विभाग का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है।

अप्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि कुआ नवोडों के नीचे का अडावा को सेटलमेंट के समय उक्त भूमि को वन विभाग में पैमाईश लाईन के अन्दर शामिल कर लिया था जिसके बाद उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बजरंगलाल पुत्र भूरामल कौम ब्राहम्ण निवासी सकराय, जिला सीकर द्वारा सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के समक्ष एक वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि– मेरा कुआ नवाड़ा ग्राम कोट सकराय नीचे अड़ावा है जो मेरे कब्जे में है। इसमें मेरे स्वयं के जानवर बैठते हैं इनके चरने के लिये घास होती है। इसका वन विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अड़ावा कुआ व जमीन मैंने प्रहलाद कृष्ण पारीक से मोल खरीदी है। रजिस्ट्री नियमानुसार मेरे नाम की गई है। इससे पूर्व अड़ावा श्री पारीक के कब्जे में था जो इन्हें जागीरदार से मिला हुआ है। उन्होंने कुआ, भूमि इससे संबंधित अड़ावा कुल मुझे बेचा है। अब अड़ावा को वन भूमि गाईड लाईन में शामिल किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। बाद जांच रिकार्ड व मौका वन विभाग पैमाइश लाईन से अलग किया जावे। इस पर न्यायालन सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 19.9.1966 को निर्णय करते हुये आदेश पारित किया गया कि " कुआ नवोडा के नीचे का अड़ावा वन विभाग पैमाइश लाईन के अन्दर शामिल न कर बाहर रखा जावे। रिकार्ड व नक्शा में दुरूस्ती की जावे। फैसला सुनाया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकार का न्यायालय सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध वन विभाग जयपुर द्वारा अपील कलेक्टर व जिलाधीश झुंझुनू के समक्ष

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील को भी अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 17.11.1970 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उक्त उप मण्डल अधिकारी नवलगढ द्वारा पत्रांक 1124 राजस्व दिनांक 29.7.1971 को तहसीलदार उदयपुरवाटी को भेजकर आदेशित किया गया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 632 गैर पहाड़ तथा भूमि खसरा नंबर 633, 650 बंजड़ दर्ज है से किस्म बारानी सोयम स्थापित करता हूँ तथा इसका लगान बरानी सोयम की दर से 0.60 पैसे प्रति बीघा स्थापित करता हूँ, उगान श्री बजरंगलाल पुत्र भूरा लाटा निवासी सराय से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक संशोधन हो। उक्त प्रकार का पत्र तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रेषित कर आदेशित किया गया इसके बाद उक्त तहसीलदार नवलगढ ने दिनांक 29.7.1971 को ही उक्त भूमि पर लगान कायम कर उक्त भूमि की किस्म भी बारानी सोयम दर्ज कर दी गई थी। इसके बाद दिनांक 02.8.1971 को उक्त भूमि का नामांतरकरण भी बजरंग लाल पुत्र भूरामल के नाम से दर्ज करके उक्त भूमि किस्म भी परिवर्तन करके बारानी सोयम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार उक्त विभिन्न सक्षम न्यायालयों द्वारा उक्त भूमि बाबत निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि से वन विभाग का कोई लेना देना शेष नहीं रहा है। वन विभाग द्वारा वर्तमान में इस प्रकार के मनघड़ंत तथ्य दर्ज करके तथा वास्तविकता छुपाते हुये यह आवेदान पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथमदृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बजरंगलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सारिका पत्नी नरेन्द्र निवासी जयपुर ने 1/5 हिस्सा, दिनांक 27.9.2017 को चौथमल पुत्र मटरूमल निवासी सीकर ने 1/5 हिस्सा दिनांक 29.9.2017 को अरूण पुत्र चौथमल निवासी सीकर ने 3/20 हिस्सा, दिनांक 29.9.2017 को मनोज पुत्र चौथमल निवासी सीकर ने 3/20 हिस्सा, दिनांक 29.9.2017 को राजेश पुत्र बजरंगलाल ने 3/20 हिस्सा, प्रदीप पुत्र रतिराम निवासी जयपुर ने 3/20 हिस्सा को क्रय कर ली जिसका नामांतरकरण भी दिानांक 23.10.2017 को तस्दीक हो चुका है। उसके बाद राजेश व प्रदीप ने भी अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को उक्त मनोज व अरूण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.10.20[illegible] को विक्रय कर दिया तथा नामांतरकरण भी उक्त मनोज व अरूण ने अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार सारिका, चौथमल, अरूण, मनोज है। उसके अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

उक्त भूमि उसके खातेदार काश्तकारों के नाम से ही दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि पर वन विभाग का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सारिका, चौथमल, अरूण, मनोज ने उसके खातेदार काश्तकार से क्रय किया है तथा उक्त विक्रय पत्र तस्दीक होने के उपरान्त उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी प्रार्थीगण के नाम तस्दीक हो चुका है। उक्त विक्रय पत्र व नामान्तरकरण को निरस्तीकरण की भी कोई कार्यवाही आवेदक द्वारा आज तक नहीं की गई है। उक्त विक्रय पत्र नामांतरण के अस्तित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड वर्तमान सारिका,चौथमल,अरूण, मनोज के नाम से है, इसलिये आवेदक द्वारा राजेश व प्रदीप को वर्तमान आवेदन पत्र में अनावश्यक पक्षकार बनाया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक ने बिना कोई राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये ही वर्तमकान आवेदन पत्र प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिये पेश किया है। उक्त भूमि शुरू से ही उसके खातेदार बजरंग व उनके पूर्वज राज0 काश्तकारी अधि0 लागू होने से पूर्व से उनके कब्जे में थी तथा उक्त भूमि पर उक्त बजरुंगलाल का कब्जा ही चला आ रहा था, विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के द्वारा भी उक्त भूमि की खातेदारी उक्त बजरंगलाल के नाम दर्ज करने बाबत निर्णय हो चुका है तथा अपील भी खारिज हो चुकी है तथा द्वितीय कोई अपील वन विभाग द्वारा नहीं की है,इसलिये उक्त भूमि के बाबत वन विभाग का कोई लेना देना नहीं है तथा न ही वन विभाग का कभी कोई कब्जा रहा है। अतं में आवेदन पत्र के समस्त तथ्यों से इन्कार करते हुये वर्तमान आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दौहराया गया और प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही अपनी ओर से बहस होना बताया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया और कथन किया गया कि– प्रार्थना पत्र राज0 भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) में अंकित किये गये तथ्यों से इन्कार किया गया तथा प्रारम्भिक आपतियां प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

निवेदन किया कि– राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970 के अन्तर्गत विवादित भूमि का आलॉट नहीं हुआ है। बल्कि विवादित भूमि पर भूराराम जो बजरंगलाल के पिता थे, ने ठिकाने से क्रय की थी तथा उक्त भूमि पर उसका कब्जा था जिसको वन विभाग ने सेटलमेंट में पैमाइस लाईन में वन विभाग में शामिल कर लिया जिसपर उसके खातेदार बजरंग लाल ने सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के यहां एतराज करने पर दिनांक 19.9.1966 को सहायक बन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर ने विवादित भूमि को वन विभाग द्वारा पैमाइस लाईन में वन विभाग में शामिल की गई भूमि को वन विभाग से अलग कर दिया। उक्त आदेश की अपील करने पर अपील भी खारिज कर दी गई है। इसलिए मौजुदा प्रार्थना पत्र पत्र राज0 भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है, प्रथमदृष्ट्या खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीया ने कथन किया कि ग्राम कोट पटवार नांगल में भूमि पुराना खसरा नंबर 632 रकबा 55 बीघा 10 विश्वा व खसरा नंबर 650 रकबा 2 बीघा हाल खसरा नंबर 1147/860 रकबा 14.1800 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसकी किस्म बारानी सोयम दर्ज है। उक्त भूमि का पट्टा फागुन बुदी दूज सम्वत 2002 को भूराराम के नाम से बना हुआ है। उक्त पट्टे की नकल जवाब के साथ पेश की जा रही है। उसके बाद का राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जावे तो उक्त भूमि पुराना खसरा नंबर 632 रकबा 55 बीघा 10 विश्वा व खसरा नंबर 650 रकबा 1 बीघा 4 विश्वा बजरंगलाल पुत्र भरामल कौम ब्राहम्मण निवासी सकराय जिला सीकर की खातेदारी में दर्ज है, जो राजस्व रिकार्ड शुरू से दिनांक 23.10.2017 तक है। उसके बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि को उक्त रिकार्डेड खातेदार काश्तकार उक्त बजरंगलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सारिका, चौथमल, अरूण, मनोज, राजेश व प्रदीप ने क्रय कर ली तथा उसका नामान्तरकरण भी दिनांक 23.10.2017 को तस्दीक हो चुका है। उसके बाद राजेश व प्रदीप ने भी अपने हक व हिस्से की भूमि को उक्त मनोज व अरूण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर लिया तथा नामान्तरकरण भी उक्त मनोज व अरूण ने अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार सारिका, चौथमल, अरूण, व मनोज हैं। उक्त भूमि पर वन विभाग का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अप्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि कुआ नवोडों के नीचे का अडावा को सेटलमेंट के समय उक्त भूमि को वन विभाग में पैमाईश लाईन के अन्दर शामिल कर लिया था जिसके बाद उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बजरंगलाल पुत्र भूरामल कौम ब्राहम्ण निवासी सकराय, जिला सीकर द्वारा सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के समक्ष एक वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि– मेरा कुआ नवाड़ा ग्राम कोट सकराय नीचे अडावा है जो मेरे कब्जे में है। इसमें मेरे स्वयं के जानवर बैठते हैं इनके चरने के लिये घास होती है। इसका वन विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अड़ावा कुआ व जमीन मैंने प्रहलाद कृष्ण पारीक से मोल खरीदी है। रजिस्ट्री नियमानुसार मेरे नाम की गई है। इससे पूर्व अड़ावा श्री पारीक के कब्जे में था जो इन्हें जागीरदार से मिला हुआ है। उन्होंने कुआ, भूमि इससे संबंधित अड़ावा कुल मुझे बेचा है। अब अड़ावा को वन भूमि गाईड लाईन में शामिल किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। बाद जांच रिकार्ड व मौका वन विभाग पैमाइश लाईन से अलग किया जावे। इस पर न्यायालन सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 19.9.1966 को निर्णय करते हुये आदेश पारित किया गया कि '' कुआ नवोडा के नीचे का अड़ावा वन विभाग पैमाइश लाईन के अन्दर शामिल न कर बाहर रखा जावे । रिकार्ड व नक्शा में दुरूस्ती की जावे। फैसला सुनाया गया था।

उक्त प्रकार का न्यायालय सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध वन विभाग जयपुर द्वारा अपील कलेक्टर व जिलाधीश झुंझुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील को भी अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 17.11.1970 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उक्त उप मण्डल अधिकारी नवलगढ द्वारा पत्रांक 1124 राजस्व दिनांक 29.7.1971 को तहसीलदार उदयपुरवाटी को भेजकर आदेशित किया गया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 632 गैर पहाड़ तथा भूमि खसरा नंबर 633, 650 बंजड़ दर्ज है से किस्म बारानी दोयम स्थापित करता हूँ तथा इसका लगान बरानी सोयम की दर से 0.60 पैसे प्रतिबीघा स्थापित करता हूँ, उगान श्री बजरंगलाल पुत्र भूरा लाटा निवासी सराय से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक संशोधन हो। उक्त प्रकार का पत्र तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रेषित कर आदेशित किया गया इसके बाद उक्त तहसीलदार उदयपुरवाटी ने दिनांक 29.7.1971 को ही उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

भूमि पर लगान कायम कर उक्त भूमि की किस्म भी बारानी सोयम दर्ज कर दी गई थी। इसके बाद दिनांक 2.8.1971 को उक्त भूमि का नामांतरण भी बजरंग लाल पुत्र भूरामल के नाम से दर्ज करके उक्त भूमि किस्म भी परिवर्तन करके बारानी सोयम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार उक्त विभिन्न सक्षम न्यायालयों द्वारा उक्त भूमि बाबत निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि से वन विभाग का कोई लेना देना शेष नहीं रहा है। वन विभाग द्वारा वर्तमान में इस प्रकार के मनघड़ंत तथ्य दर्ज करके तथा वास्तविकता छुपाते हुये यह आवेदान पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथमदृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बजरंगलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सारिका पत्नी नरेन्द्र निवासी जयपुर ने 1/5 हिस्सा, दिनांक 27.9.2017 को चौथमल पुत्र मटरूमल निवासी सीकर ने 1/5 हिस्सा दिनांक 29.9.2017 को अरूण पुत्र चौथमल निवासी सीकर ने 3/20 हिस्सा, दिनांक 29.9.2017 को मनोज पुत्र चौथमल निवासी सीकर ने 3/20 हिस्सा, दिनांक 29.9.2017 को राजेश पुत्र बजरंगलाल ने 3/20 हिस्सा, प्रदीप पुत्र रतिराम निवासी जयपुर ने 3/20 हिस्सा को क्रय कर ली जिसका नामांतरकरण भी दिनांक 23.10.2017 को तस्दीक हो चुका है। उसके बाद राजेश व प्रदीप ने भी अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को उक्त मनोज व अरूण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.10.2019 को विक्रय कर दिया तथा नामांतरकरण भी उक्त मनोज व अरूण ने अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार सारिका, चौथमल, अरूण, मनोज है। उसके अनुसार उक्त भूमि उसके खातेदार काश्तकारों के नाम से ही दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि पर वन विभाग का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सारिका, चौथमल, अरूण, मनोज ने उसके खातेदार काश्तकार से क्रय किया है तथा उक्त विक्रय पत्र तस्दीक होने के उपरान्त उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी प्रार्थीगण के नाम तस्दीक हो चुका है। उक्त विक्रय पत्र व नामान्तरकरण को निरस्तीकरण की भी कोई कार्यवाही आवेदक द्वारा आज तक नहीं की गई है। उक्त विक्रय पत्र नामांतरण के अस्तित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही [illegible] अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। उक्त भूमि का राजस्व [illegible] वर्तमान सारिका, चौथमल, अरूण, मनोज के नाम से है, इसलिये [illegible] व प्रदीप को वर्तमान आवेदन पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अनावश्यक पक्षकार बनाया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक ने बिना कोई राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये ही वर्तमान आवेदन पत्र प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिये पेश किया है। उक्त भूमि शुरू से ही उसके खातेदार बजरंग व उनके पूर्वज राज0 काश्तकारी अधि0 लागू होने से पूर्व से उनके कब्जे में थी तथा उक्त भूमि पर उक्त बजरंगलाल का कब्जा ही चला आ रहा था, विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के द्वारा भी उक्त भूमि की खातेदारी उक्त बजरंगलाल के नाम दर्ज करने बाबत निर्णय हो चुका है तथा अपील भी खारिज हो चुकी है तथा द्वितीय कोई अपील वन विभाग द्वारा नहीं की है, इसलिये उक्त भूमि के बाबत वन विभाग का कोई लेना देना नहीं है तथा न ही वन विभाग का कभी कोई कब्जा रहा है। अंत में आवेदन पत्र के समस्त तथ्यों से इन्कार करते हुये वर्तमान आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण में आवेदक पक्ष की ओर से यह प्रार्थना पत्र राज0 भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है और आवंटन निरस्त करवाना चाहा गया है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामांतरकरण संख्या 61 के मार्फत राजस्व रिकार्ड में भूमि बजरंग लाल के नाम दर्ज हुई है। उक्त नामांतरण से यह स्पष्ट है कि उक्त पृविष्टि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के आदेश से दर्ज हुई है। उक्त पृविष्टि किसी आवंटन आदेश के द्वारा दर्ज नहीं हुई है। पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि किसी आवंटन कमेटी के द्वारा पारित किसी आदेश से विवादित जमीन के रिकार्ड में फेरबदल नहीं हुआ है। राज0 भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत किसी आवंटन आदेश को निरस्त करने के प्रावधान हैं। हस्तगत प्रकरण में राज0 भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में आवेदक पक्ष की ओर से यह प्रार्थना पत्र राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

प्रस्तुत किया गया है और आवंटन निरस्त करवाने की इस्तदुआ चाही गई है। नामांतरकरण संख्या 61 के मार्फत राजस्व रिकार्ड में भूमि बजरंगलाल के नाम दर्ज हुई है। उक्त नामांतरण से यह स्पष्ट है कि उक्त पृविष्टि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के आदेश से दर्ज हुई है। उक्त पृविष्टि किसी आवंटन आदेश के द्वारा दर्ज नहीं हुई है। पत्रावली पर मौजुद पक्ष एवं विपक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि किसी आवंटन कमेटी के द्वारा पारित किसी आदेश से विवादित जमीन के रिकार्ड में फेरबदल नहीं हुआ है अर्थात जमीन विपक्षी पक्ष को आवंटन नहीं हुई है। राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश को निरस्त करने के प्रावधान हैं। प्रार्थना पत्र राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत किस आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है वह आवंटन आदेश ही पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस प्रकरण में मेरे समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि की खातेदारी किसी आवंटन आदेश के द्वारा दर्ज की गई हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश के अभाव में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.06.2022

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:53 IST
Reason: SelfAttested